कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 239/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.06.2026

"स्वस्थ आयु के लिए योग" थीम पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने पुलिस लाइन आजमगढ़ में किया योगाभ्यास

आजमगढ़। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की थीम *"स्वस्थ आयु के लिए योग"* है। इस थीम का उद्देश्य लोगों को योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने तथा बढ़ती आयु में भी सक्रिय, संतुलित एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य एवं स्वस्थ वृद्धावस्था की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

➡इसी क्रम में आज दिनांक 21.06.2026 को पुलिस उप-महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, श्री सुनील कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा पुलिस लाइन्स परिसर में आयोजित योग शिविर में सहभागिता कर योगाभ्यास किया गया।

➡योग प्रशिक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुलोम-विलोम, कपालभाति, अर्धचक्रासन, वज्रासन, भुजंगासन, शशांकासन तथा शीतली प्राणायाम सहित विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षक ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को निरोग एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग एवं व्यायाम के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए।

➡इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल, प्रतिसार निरीक्षक श्री रजनी कान्त ओझा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा चंद्रमा ऋषि आश्रम कंधरापुर परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर मा0 मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री रविन्द्र कुमार सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया।

➡ इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना, चौकी एवं पुलिस कार्यालयों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविरों एवं जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए योगाभ्यास किया गया तथा दैनिक जीवन में योग को अपनाने का संकल्प लिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक-21.06.2026

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

• सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट एवं दबंगई के वीडियो का कोतवाली पुलिस ने किया संज्ञान

• “ऑपरेशन वज्रपात” के तहत बाइक पर तीन सवारी कर दबंगई का प्रदर्शन करने वाले 03 युवक पुलिस हिरासत में

• आमजन में भय एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने वालों पर निरोधात्मक कार्रवाई, वाहन सीज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई एवं असामाजिक गतिविधियों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन वज्रपात” के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है।

➡□ दिनांक 20.06.2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते तथा दबंगई का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। उक्त वीडियो से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने तथा कानून व्यवस्था एवं यातायात सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना परिलक्षित हुई।

➡□ मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान वायरल वीडियो में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर संख्या UP50BK8664 की पहचान कर उसे नियमानुसार सीज किया गया तथा वीडियो में दिखाई देने वाले तीनों युवकों को चिन्हित कर पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡□ जांच के दौरान उक्त व्यक्तियों की पहचान निम्नवत हुई—

1. आदर्श चौहान पुत्र विरेन्द्र चौहान निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष (प्रोपराइटर कालिका होटल)।
2. कुंजेश जायसवाल पुत्र स्व० राम सिंह जायसवाल निवासी कोल बाजबहादुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र 26 वर्ष।
3. सत्यम गुप्ता पुत्र स्व० रामचरन गुप्ता निवासी फरासटोला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र 26 वर्ष।

➡□ दिनांक 21.06.2026 को ऑपरेशन वज्रपात के तहत उक्त मोटरसाइकिल को नियमानुसार सीज किया गया तथा तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की गई।

अपराधिक इतिहास-

आदर्श चौहान

मु0अ0सं0-117/2026 धारा 281, 125(ए), 125(बी), 106(1), 324(4) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

कुंजेश जायसवाल

मु0अ0सं0-310/2022 धारा 279/338 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

➡□ आजमगढ़ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई, स्टंटबाजी, मारपीट अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

➡□ ऑपरेशन वज्रपात के तहत जनपद पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी रख रही है तथा समाज में भय, दहशत एवं अपराध को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही **है।**

प्रेस विज्ञप्ति,दिनांक- 21.06.2026
जनपद- आजमगढ़ (थाना सिधारी)

□ फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी जीएसटी बिल बनाकर लगभग ₹4.08 करोड़ की राजस्व क्षति पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
□ कूटरचित दस्तावेज, फर्जी रेंट एग्रीमेंट एवं आधार-पैन कार्ड के दुरुपयोग से बोगस फर्मों का पंजीकरण कर अवैध रूप से ITC लाभ प्राप्त करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार
□ पुलिस जांच में फर्जी जीएसटी बिलिंग एवं कर चोरी के संगठित नेटवर्क का खुलासा, अभियुक्तों को भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आर्थिक अपराधों एवं कर चोरी से संबंधित अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिधारी पुलिस द्वारा फर्जी फर्मों का निर्माण कर फर्जी जीएसटी बिल एवं ई-वे बिल तैयार करने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का अवैध लाभ प्राप्त कर सरकार को लगभग ₹4 करोड़ 08 लाख की राजस्व क्षति पहुंचाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-
दिनांक 08.07.2025 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 337/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस बनाम आनन्द गुप्ता पुत्र दिलीप कुमार निवासी जयचन्दपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया था। आरोप था कि कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी फर्मों का पंजीकरण कराकर फर्जी जीएसटी बिल एवं ई-वे बिल तैयार किए गए तथा अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई गई।
विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ओटीपी प्राप्त कर फर्जी रेंट एग्रीमेंट तैयार करते थे तथा उनके आधार पर बोगस फर्मों का पंजीकरण कराते थे। इन फर्मों के माध्यम से फर्जी खरीद-बिक्री दर्शाकर जीएसटी बिल एवं ई-वे बिल तैयार किए जाते थे, जिससे वास्तविक फर्मों को अवैध रूप से ITC का लाभ प्राप्त होता था और सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि होती थी।
गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 21.06.2026 को थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण—
1. आनन्द गुप्ता पुत्र दिलीप कुमार निवासी जयचन्दपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।
2. विनय गुप्ता पुत्र स्व0 सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी देवीगंज चौराहा थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी।
3. मो0 कैफ पुत्र जाकिर अली निवासी अटरिया थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पूछताछ में हुआ महत्वपूर्ण खुलासा-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त आनन्द गुप्ता ने बताया कि उसके नाम पर फर्म पंजीकृत कराई गई थी, जिसके बदले उसे ₹5,000 दिए गए थे। अभियुक्त विनय गुप्ता ने स्वीकार किया कि वह विभिन्न व्यक्तियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ओटीपी उपलब्ध कराता था तथा प्रत्येक व्यक्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने के बदले उसे लगभग ₹8,000 प्राप्त होते थे। अभियुक्त मो0 कैफ ने पूछताछ में बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी फर्मों का पंजीकरण, फर्जी जीएसटी बिल एवं ई-वे बिल तैयार करने तथा फर्जी खरीद-बिक्री दर्शाकर वास्तविक फर्मों को ITC का अवैध लाभ दिलाने का कार्य करता था। इस अवैध गतिविधि से अर्जित धनराशि को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 337/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1. आनन्द गुप्ता पुत्र दिलीप कुमार निवासी जयचन्दपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।
2. विनय गुप्ता पुत्र स्व0 सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी देवीगंज चौराहा थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी।
3. मो0 कैफ पुत्र जाकिर अली निवासी अटरिया थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
• उ0नि0 मुरारी मिश्र, चौकी प्रभारी मुसेपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
• हे0का0 मनोज कुमार यादव, थाना सिधारी।
• का0 अंकित सिंह, थाना सिधारी।
• का0 शम्भू राम, थाना सिधारी।
• का0 राहुल कुमार सिंह, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 21.06.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

□ घर में चोरी की घटना का सफल अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□ चोरी की अंगूठी एवं कान के टप्स बरामद

घटना का विवरण-
दिनांक 18.06.2026 को वादी आदर्श चौहान पुत्र वीरेन्द्र चौहान निवासी कोडर आजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के घर से उनकी पत्नी के आभूषण एवं कुछ नगदी चोरी हो गयी थी। घटना की जानकारी होने पर वादी द्वारा खोजबीन की गयी, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि उनके घर में कार्यरत नौकर अतुल प्रजापति पुत्र जयमाल प्रजापति निवासी कोडर आजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी है। दिनांक 19.06.2026 को वादी द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने का प्रयास किया गया, किन्तु वह मौके से भाग गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
गिरफ्तारी का विवरण-
विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के क्रम में दिनांक 21.06.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अतुल प्रजापति पुत्र जयमाल प्रजापति निवासी कोडर आजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी 01 अदद अंगूठी एवं 02 अदद कान के टप्स बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 329/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त-
अतुल प्रजापति पुत्र जयमाल प्रजापति निवासी कोडर आजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।
बरामदगी-
- 01 अदद पीली धातु की अंगूठी।
- 02 अदद कान के टप्स।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 329/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 200/2017 धारा 308, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. म0उ0नि0 शशि सिंह, चौकी प्रभारी बदरका, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 विजय कुमार गुप्ता, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 विशाल गुप्ता, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 21.06.2026
थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

□ अपहृत युवती की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार
□ अभियुक्त की निशानदेही पर बड़ैला ताल क्षेत्र से युवती का कंकाल बरामद, मुकदमे में हत्या की धाराओं की बढ़ोत्तरी

घटना का विवरण-
दिनांक 19.06.2026 को वादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 रामबदन राजभर निवासी ग्राम नई थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री ममता राजभर उम्र लगभग 24 वर्ष, जो मनोज यादव उर्फ मुरहा पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्राम जलालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के सम्पर्क में थी, दिनांक 22.05.2026 की रात्रि लगभग 08 बजे से लापता है। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किये जाने के बावजूद कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर घटना में मनोज यादव उर्फ मुरहा की संलिप्तता प्रकाश में आयी। जांच के क्रम में अपहरण की घटना हत्या में परिवर्तित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 103(1), 238(ख) एवं 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण-

दिनांक 20.06.2026 को थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मुरहा पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्राम जलालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपराध स्वीकार करते हुए पीड़िता की हत्या कर शव को छिपाने की बात बतायी। अभियुक्त की निशानदेही पर बड़ैला ताल क्षेत्र में झाड़ियों से घिरे स्थान से पीड़िता के शव के अवशेष बरामद किये गये, जो समय बीत जाने के कारण कंकाल में परिवर्तित हो चुके थे। घटनास्थल से पीड़िता के पहने हुए कपड़े भी बरामद हुए। शव बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ/खुलासा-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान पीड़िता को अपने साथ ले जाने तथा उसकी हत्या कर शव को बड़ैला ताल क्षेत्र में छिपाने का अपराध स्वीकार किया है। प्रकरण में अन्य तथ्यों की जांच एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 217/2026 धारा 87/103(1)/238(ख)/61(2) बीएनएस थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनोज यादव उर्फ मुरहा पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्राम जलालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी-

● पीड़िता ममता राजभर का शव, जो कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुका था।

● घटनास्थल से बरामद पीड़िता के कपड़े।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 217/2026 धारा 87/103(1)/238(ख)/61(2) बीएनएस थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, उपनिरीक्षक तुषार त्रिपाठी, कांस्टेबल विवेक, कांस्टेबल प्रेम, महिला कांस्टेबल कृतिका, महिला कांस्टेबल प्रियंका, कांस्टेबल अतुल शुक्ला, कांस्टेबल शिवम चौधरी, कांस्टेबल अजय राय, महिला कांस्टेबल दीक्षा मिश्रा एवं महिला कांस्टेबल कविता थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ की टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं घटना का सफल अनावरण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति,दिनांक- 21.06.2026

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

□ गोवध एवं गौ-तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्रवाई, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ आर्थिक लाभ के लिए सक्रिय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय, गैंगस्टर एक्ट में थी तलाश

घटना का विवरण-

थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम सोफीगढ़ निवासी इरफान पुत्र मंजूर द्वारा अपने अन्य साथियों राशिद उर्फ रसीद, सुबहान उर्फ सुभान, सुफियान उर्फ सोफियान, मुख्तार उर्फ मुखतार, मो0 इमरान उर्फ इबरान, सेराज उर्फ सिराज एवं मो0 वफा के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का गठन किया गया था। यह गिरोह जनपदीय एवं अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय होकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गोवध एवं गौ-तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया।

दिनांक 22.10.2024 को थाना अहरौला पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन से छह गौवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाकर बेचने की योजना का खुलासा किया गया था। इस संबंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 453/2024 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जहां वाद विचाराधीन है।

संगठित आपराधिक गतिविधियों एवं अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ के दृष्टिगत उक्त गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा दिनांक 20.06.2026 को थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 186/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मो0 इमरान उर्फ इबरान पुत्र मंजूर निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र

करीब 43 वर्ष को दिनांक 21.06.2026 को बेन्दुई नहर पुलिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 186/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मो0 इमरान उर्फ इबरान पुत्र मंजूर निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 186/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 453/2024 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 24/2020 धारा 323/34/427/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उपनिरीक्षक विजयी, मुख्य आरक्षी हरिश्चन्द्र भास्कर एवं आरक्षी राजेश कुमार यादव थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ की टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

प्रेस विज्ञप्ति,दिनांक- 21.06.2026

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

□ मिशन शक्ति 5.0 टीम की त्वरित कार्रवाई, घर से नाराज होकर निकले 10 वर्षीय बालक को सकुशल किया बरामद

□ 04 घंटे के भीतर बालक को खोजकर परिजनों के सुपुर्द किया गया, परिजनों ने पुलिस टीम का जताया आभार

घटना का विवरण-

दिनांक 21.06.2026 को आवेदक श्री राम सिंह यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम सेमरहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र आरुष सिंह यादव उम्र लगभग 10 वर्ष प्रातः लगभग 08:00 बजे घर से बिना बताए नाराज होकर कहीं चला गया है। सूचना प्राप्त होते ही प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना रानी की सराय की मिशन शक्ति 5.0 टीम को बालक की तलाश हेतु लगाया गया।

पुलिस कार्रवाई-

मिशन शक्ति 5.0 टीम द्वारा परिजनों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर बालक के संभावित स्थानों पर सघन खोजबीन एवं तलाश अभियान चलाया गया। लगातार प्रयासों के क्रम में समय लगभग 11:30 बजे सोनवारा मोड़, कस्बा रानी की सराय बाजार के पास से बालक आरुष सिंह यादव को सकुशल बरामद कर लिया गया।

सकुशल सुपुर्दगी-

गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होने के लगभग 04 घंटे के भीतर बालक को सकुशल बरामद कर आवश्यक सत्यापन उपरांत उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बालक के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए थाना रानी की सराय पुलिस एवं मिशन शक्ति 5.0 टीम का आभार व्यक्त किया।

मिशन शक्ति 5.0 टीम-

उपनिरीक्षक विनोद यादव, मुख्य आरक्षी सुभाष यादव एवं महिला आरक्षी मनीषा सिंह थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 21.06.2026
ऑपरेशन वज्रपात
थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

□ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने वाले युवक के विरुद्ध "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत पुलिस की कार्रवाई

□ अवैध गैंग संस्कृति एवं सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी को बढ़ावा देने के प्रयास पर विधिक कार्यवाही, युवक को किया गया चिन्हित

जनपद आजमगढ़ में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग, गैंग संस्कृति एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे *"ऑपरेशन वज्रपात"* अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर सतत निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 21.06.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने एवं अवैध गैंग से संबद्धता प्रदर्शित करने के प्रयास का मामला संज्ञान में आया। जांचोपरांत अमित कुमार पुत्र राम बचन निवासी ग्राम रेवसा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को चिन्हित किया गया।

पुलिस कार्रवाई-
उक्त व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित कर समाज में गलत संदेश प्रसारित करने तथा गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किए जाने के दृष्टिगत उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 170/126/135 बीएनएस के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई।

जनसुरक्षा संदेश-
थाना देवगांव पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति को सोशल मीडिया के जिम्मेदार एवं विधिसम्मत उपयोग के संबंध में जागरूक किया गया तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट, अवैध गैंग से संबद्धता, दहशत फैलाने वाली सामग्री अथवा स्टंटबाजी से संबंधित पोस्ट प्रसारित न करने की सख्त चेतावनी दी गई।

पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कानून-व्यवस्था प्रभावित करने, गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने अथवा समाज में भय एवं भ्रम का वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध *"ऑपरेशन वज्रपात"* के तहत कठोर विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

विधिक कार्यवाही-
अमित कुमार पुत्र राम बचन निवासी ग्राम रेवसा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएस के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-
व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव, कांस्टेबल अंकित कुमार यादव एवं कांस्टेबल अतुल पटेल की टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय के निर्देशन में उक्त कार्यवाही संपादित की गई।

प्रेस नोट, दिनांक : 21.06.2026

थाना- निजामाबाद, जनपद- आजमगढ़

ट्रक खरीदने के नाम पर विश्वासघात करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वाहन की किस्त एवं टैक्स जमा न कर लाखों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई

जनपद आजमगढ़ की थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा विश्वासघात एवं धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

घटना का विवरण-

वादी मुकदमा अच्छेलाल सोनकर पुत्र भोंभल सोनकर निवासी आगापुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा अशोक लीलैंड ट्रेलर (22 चक्का) टाटा कम्पनी से वित्तपोषित (फाइनेंस) कराकर क्रय किया गया था, जिसकी मासिक किस्त ₹57,600 निर्धारित थी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वादी ने अपनी उक्त गाड़ी को मो. हसरत खान पुत्र मोहिउद्दीन खान निवासी मालिकाना, थाना कोतवाली भदोही, जनपद संत रविदास नगर को एक लिखित बेचनामा के माध्यम से इस शर्त पर सुपुर्द कर दिया कि वाहन का बीमा समाप्त होने तक अभियुक्त वाहन का संचालन करेगा तथा सभी किस्तों एवं अन्य देयकों का भुगतान करेगा। बाद में संपूर्ण हिसाब-किताब कर वाहन अपने नाम स्थानांतरित करा लेगा।

दिनांक 30.01.2025 को गवाहों की उपस्थिति में ट्रेलर अभियुक्त को सौंप दिया गया। आरोप है कि वाहन प्राप्त करने के बाद अभियुक्त द्वारा न तो वाहन की किस्तें जमा की गईं और न ही टैक्स का भुगतान किया गया। बाद में वित्तीय संस्थान से नोटिस प्राप्त होने पर वादी द्वारा अभियुक्त से संपर्क किया गया, जिस पर अभियुक्त ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। स्वयं को ठगा महसूस करते हुए वादी द्वारा थाना निजामाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर दिनांक 02.06.2026 को मु0अ0सं0- 144/2026 धारा 316(2) बीएनएस बनाम मो. हसरत खान पंजीकृत किया गया तथा विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश सिंह यादव को सौंपी गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.06.2026 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश सिंह यादव मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त वादी पर सुलह का दबाव बनाने एवं उसे डराने-धमकाने की नीयत से उसके घर जाने वाला है तथा सेंटरवा तिराहा, कस्बा निजामाबाद पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा सेंटरवा तिराहा पहुंचकर अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं नाम-पता सत्यापन के उपरांत अभियुक्त मो. हसरत खान को मुकदमा उपरोक्त में समय 11:50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 144/2026 धारा 316(2) बीएनएस थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त- मो. हसरत खान पुत्र मोहिउद्दीन खान निवासी: मालिकाना, थाना कोतवाली भदोही, जनपद संत रविदास नगर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश सिंह यादव, थाना निजामाबाद ।
2. कांस्टेबल अवधेश सिंह, थाना निजामाबाद ।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 21.06.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वालों पर गम्भीरपुर पुलिस की सख्त नजर, "ऑपरेशन वज्रपातके तहत की गई प्रभावी कार्यवाही "

इंस्टाग्राम पर टीम बनाकर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक को चिन्हित कर अभिभावकों की उपस्थिति में की गई काउंसलिंग, बीएनएसएस के तहत की गई कार्रवाई

जनपद आजमगढ़ में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार*** के निर्देशन में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा ***"ऑपरेशन वज्रपात"*** के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर "टीम 5062" एवं "टीम 0333" नाम से समूह बनाकर मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना रहती है तथा युवाओं में गैंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

जांच के क्रम में पुलिस द्वारा रवि बिन्द पुत्र चन्द्रजीत बिन्द निवासी ग्राम बस्ती कपूरी, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ (इंस्टाग्राम आईडी - *ravi_bind_12* एवं *ravi_bind5055*) को चिन्हित किया गया। उक्त युवक को थाना परिसर में बुलाकर उसके अभिभावकों की उपस्थिति में काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

इसके उपरांत युवक के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

पुलिस द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, समाजोपयोगी कार्यों में सहभागिता करने एवं सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने हेतु प्रेरित करें।

****"ऑपरेशन वज्रपात"*** के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।*

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विपिन द्विवेदी, कां0 उत्तम गौड़, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।